न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–71/2020

रामाशंकर सिंह एवं अन्य..वादीगण

बनाम

रामचन्द्र सिंह एवं अन्य..प्रतिवादीगण

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
19.05.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादीगण की तरफ से एक आवेदन दिनांक 29.01.2024 अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दाखिल किया गया है, जो आज दिनांक 19.05.2025 को सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। उभय पक्षों को वादीगण के आवेदन दिनांक 29. 01.2024 पर सुना। कार्यालय अभिलेख द्वितीय पाली में आदेश हेतु प्रस्तुत करें। लेखापित अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	
पश्चात् **19.05.2025**	**आदेश (ORDER)** अभिलेख कार्यालय से आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि उपरोक्त वाद में प्रतिवादी सं0–01 रामचन्द्र सिंह की मृत्यु दिनांक 05.08.2022 को हो गयी है। प्रतिवादी सं0–01 रामचन्द्र सिंह की पत्नी चन्द्रज्योति देवी की मृत्यु वाद–पत्र दायर करने के पूर्व ही हो गई थी। इसलिए इस वाद में पक्षकार नहीं बनी। रामचन्द्र सिंह अपने पीछे अपने विधिक वारिसान रामाशंकर सिंह, आशा सिंह, पुष्पा सिंह, आनंद किशोर सिंह, उषा सिंह को छोड़कर मर गये। प्रतिवादी सं0–01 के सभी वारिसान पूर्व से इस वाद में पक्षकार है। लिहाजा प्रतिवादी सं0–01 रामचन्द्र सिंह का नाम वाद पत्र से कलमजद करना आवश्यक है। रामचन्द्र सिंह प्रतिवादी संख्या– 01 के वारिसान इस वाद पत्र में पूर्व से पक्षकार है लिहाजा वाद उपसम्मित नहीं हो सकता है और समय सीमा की बाध्यता नहीं है। वाद में वादी द्वारा प्रतिस्थापना आवेदन दाखिल करने में जानबूझकर विलम्ब नहीं हुआ है। परिवार में एक लड़की की तबियत खराब	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–71/2020

रामाशंकर सिंह एवं अन्य...वादीगण

बनाम

रामचन्द्र सिंह एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार 19.05.2025	चल रही थी, जिस कारण कलमजद करने का आवेदन पूर्व में नहीं दिया जा सका था। अगर वादी को वाद पत्र से प्रतिवादी सं0–01 रामचन्द्र सिंह का नाम कलमजद नहीं किया गया तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादपत्र से प्रतिवादी सं0–01 रामचन्द्र सिंह का नाम कलमजद कर उनके जगह पर उनके वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा करें। प्रतिवादीगण के द्वारा कोई पत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया, लेकिन वादीगण के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया और वादीगण का आवेदन खारिज होने योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–01 रामचन्द्र सिंह की मृत्यु दिनांक 05.08.2022 को हो गई, जिसके सम्बन्ध में वादीगण द्वारा सत्यापन एवं वादी रामाशंकर सिंह द्वारा शपथपत्र दाखिल किया गया है। अतः न्यायहित में वादीगण का आवेदन दिनांक 29.01.2024 विलम्ब शुल्क माफ करते हुए स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि समय–सीमा के अन्दर वह वादपत्र से मृत प्रतिवादी सं0–01 रामचन्द्र सिंह का नाम कलमजद करें। आगामी दिनांक 15.07.2025 वास्ते सुनवाई एवं प्रतिवादी सं0–01 रामचन्द्र सिंह का नाम कलमजद करने वास्ते नियत किया जाता है। लेखापित अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	